

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

गिरव्याती बनात गायात वा.

मारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जत्र


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधे.

मु.न. 30/2020

30.06.2021

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी इकजाई पेशी 05.07.2021 से पूर्व तलब होकर पेश हुई। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्रा कर खारिज किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्रा कर खारिज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

